मोहन कुमार रायना

वनाम

कोमल मोहन रायना

1 नवंबर, 2007

[सी. के. ठाकर और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

पारिवारिक कानून-नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता-दोनों द्वारा माँगी गई-माँ को दिया गया-हालाँकि, पिता द्वारा बच्चे तक पहुँच की अनुमति दी गई-उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा पिता तक सीमित पहुँच प्रदान की और पक्षकारों को मनोचिकित्सक के पास जाने का भी निर्देश दिया गया मनोचिकित्सक से मिलने का आदेश का अनुपालन न करने पर, पहुँच के आदेश को बरकरार रखा गया है -स्थगन-अपील पर, अभिनिर्धारितः न्यायालय निर्देशों का पालन न करने के बावजूद, पिता को अपने बच्चे तक पूरी तरह से पहुँच से वंचित नहीं किया जा सकता है।

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 धारा 6 - संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 धारा 7 और 25.

अपीलार्थी (पति) और प्रत्यर्थी के बीच विवाद के बाद (पत्नी), वे अलग रहने लगे। बेटी का जन्म हुआ विवाह से पैदा हुई बेटी प्रतिवादी के साथ थी बेटी को प्रतिवादी की अभिरक्षा से जबरन हटा दिया गया,बेटी की

अभिरक्षा की मांग करते हुए वाली पारिवारिक न्यायालय मे चली गई। याचिकाकर्ता ने भी परिवार न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा याचिका दायर की। न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी के आवेदन कोको अनुमति दी। हालांकि,अपीलार्थी को बेटी से मिलने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी ने भी अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा अपीलार्थी को दी गई पहुंच को कम कर दिया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि बच्चे के साथ मनोचिकित्सक के पास जाएँ और अनुमति दी गई। एक और अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने फिर से निर्देश दिया मनोचिकित्सक से मिलने के लिए पक्षकार को । अंतरिम आदेश द्वारा, न्यायालय ने बच्चे तक पिता की पहुंच के आदेश को तब तक स्थगित रखा, जब तक कि पक्षों ने मनोचिकित्सक से मिलने के आदेश का पालन किया। अतः वर्तमान मे उच्च न्यायालय के चार अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री को देखते हुए और पक्षकारों और नाबालिग लड़की के विचारो पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी को अपने नाबालिग बच्चे तक पूर्ण पहुँच से वंचित नही किया जाना चाहिए, भले ही वहाँ उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में चूक हुई हो

और अपीलों के निपटारे तक, उसे कम से कम कुछ हद तक अपने नाबालिग बच्चे तक पहुँचने की अनुमति दी जानी चाहिए। [पैरा 16] [861-ई, एफ)

2. तदनुसार, अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए यह निर्देश दिया जाता है,कि इस हद तक कि नाबालिग का अपीलार्थी/पिता, शनिवार और रविवार को सप्ताहांत पर अपनी बेटी से मिलने के हकदार होंगे और यदि बच्चा चाहेगा तो उसे शनिवार की रात को अपने साथ रखने का हकदार होगा। [पैरा 17] [861-एफ, जी; 862-ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5088-5097 2007 से।

दिनांक 12.7.2007,19.7.2007 अंतरिम निर्णयों और आदेशों से, 27.7.2007, 6.8.2007 एफ. सी. ए. में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की न्यायपालिका एफ. सी. ए. संख्या 29 में सी. ए. संख्या 169

के साथ

वर्ष 2007 की एफ. सी. ए. संख्या 61 और 29 में एफ. सी. ए. सं. 61 के साथ सी. ए. सं. 81।

अपीलार्थी की ओर से डॉ. ए. एम. सिंघवी, सुधांशु बत्रा, एस. जयराम, प्रमित सक्सेना, अमित यादव, डॉ. केविक सीतलवाड़ और एस. वी. देशपांडे।

प्रतिवादी के लिए इंदु मल्होत्रा, आर. आई. लालवानी, एस. आई. जयकर (लालवानी) सुनीता ओझा, नितिन रमेश और अनीता शेनॉय।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अल्तमस कबीर, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. चूँकि विशेष अनुमति याचिकाओं के दोनों पक्ष हमारे सामने हैं, प्रतिवादी कोमल की ओर से अपील का सूचना को माफ कर दिया गया है मोहन रायना।

3. अपील उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं जिनमें विवादों के कारणऔर एक विवाहित जोड़े के बीच मतभेद, विवाह से पैदा हुआ बच्चा दोनों माता-पिता के बीच अभिरक्षा के लिए झगड़े का विषय बन गया है।

4. इन अपीलों की विषय वस्तु उनके द्वारा बंबई उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2007,19 जुलाई 2007,27 जुलाई को 2007 और 6 अगस्त 2007 को एक परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या-65/2005 की दो अपीलों में पारित चार आदेश हैं। उन परिस्थितियों की सराहना करने के लिए जिनमें ये आदेश पारित किये गए, कुछ तथ्य बताना जरूरी होगा जिसमे परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू हो गई। 5. मान लीजिए, कि यहाँ अपीलार्थी, जो प्रत्यर्थी का पति ने 2 मार्च 2002 को प्रत्यर्थी से शादी की।एक बेटी जिसका जन्म हुआ और इसका नाम अनीशा रखा गया।

शुरुआत मे दोनो पक्ष के बीच कोई विवाद नही था,लेकिन बेटी के जन्म के बाद वैवाहिक घर मे माहौल बदलना शुरु हो गया। हम कारणों में नहीं जाएँगे।प्रतिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है क्योंकि इस तरह के आरोप हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन हम केवल यह देख सकते हैं कि द्वारा दिए गए कारणों में से एक परिवर्तित परिस्थितियों के लिए उत्तरदाता व्यवहार में परिवर्तन था,उसके प्रति अपीलार्थी का, अपने दोस्तों के साथ शराब की लत के कारण था।

6. किसी भी मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वैवाहिक कलह हुई है,जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी ने आपनी नाबालिग बेटी के साथ जुलाई 2004 में वैवाहिक घर छोड़ दिया। बांद्रा मे अपने माता पिता के साथ आश्रय लेना पड़ा।प्रत्यर्थी के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान उन्होंने जारी रखा अनीशा को चेंबूर के किंडर कैम्पस स्कूल में भेजने के लिए। प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2005 में, ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए, अपीलार्थी ने अनीशा को वापस अपने साथ रखा। और उसे प्रत्यर्थी की हिरासत में वापस नहीं किया। यह मजबूर कर दिया प्रत्यर्थी स्कूल परिसर में अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन चूंकि यह व्यवस्था भी काम नहीं कर पाई, नवंबर 2005 के अंतिम सप्ताह में,उसने चेंबूर पुलिस से संपर्क किया और उनकी मदद से वापस मिल गई उसकी बेटी की देखभाल। इसके बाद कई आरोप लगाए गए कि 30 नवंबर, 2005 को अपीलार्थी ने अपने कुछ सदस्यों की मदद से सहयोगियों ने अनीशा को

प्रतिवादी की अभिरक्षा से जबरन हटा दिया और उसे प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से दुर्गम बना दिया। इस प्रकार है मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ कि उन्होंने हिरासत की मांग करते हुए परिवार न्यायालय का रुख किया मोहन कुमारयाना बनाम कमल मोहन रायना 857 [अल्टमास कबीर, जे। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत उसकी नाबालिग बेटी को संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के धारा 7 और 25 के साथ पढ़ा जाता है।

7. इसमें अपीलार्थी ने 2005 मे एक अभिरक्षा याचिका भी दायर की, जिसका डी-66 है और दोनों आवेदनों को परिवार न्यायालय दारा एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया। 2 फरवरी 2007 के अपने फैसले से परिवार न्यायालय ने अभिरक्षा के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया और निम्नलिखित को पारित करके प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी गई आदेशः

आदेश

प्रत्यर्थी/मोहनकुमार रायना को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2006-2007 की अंतिम कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद नाबालिग बेटी अनीशा की अभिरक्षा याचिकाकर्ता/माँ को कोमल रायना सौंपने का निर्देश दिया जाता है । अध्ययन करते हैं।

बच्चे के बाद अनीशा मां की कस्टडी में चली जाती है ऊपर आदेश दिया गया है कि प्रतिवादी/पिता स्वतंत्र होंगे और याचिकाकर्ता/माँ के साथ पारस्परिक व्यवस्था के अनुसार। याचिकाकर्ता/माँ को प्रत्यर्थी/के साथ परामर्श करना चाहिए। पिता उसकी आगे की शैक्षणिक शिक्षा का सवाल तय करते हैं और उसे बच्चे को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। इसकी पूर्व अनुमति के बिना और निश्चित रूप से उत्तरदाता/पिता को उचित सूचना के बाद। पिता/प्रत्यर्थी शिक्षा के सभी खर्चों को पूरा करेंगे। नाबालिग बेटी अनीशा का भोजन और कपड़े आदि याचिकाकर्ता/अपनी मर्जी से माँ इसमें योगदान कर सकती हैं। बच्चे के लिए और प्रतिवादी पिता द्वारा बच्चीी अनीशा को उसके आराम के लिए और सुखद जीवन के लिए कुछ भी देने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए । अभिरक्षा लिए यह व्यवस्था [2007] 11 एस. सी. आर. पर की गई है। नाबालिग अनीशा के कल्याण के लिए पूर्व विचार का आधार और परिस्थितियों के परिवर्तन की स्थिति में माता-पिता में से कोई एक नए सिरे से इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार होगा। परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर निर्देश।

प्रतिवादी/पिता मोहन कुमार रायना द्वारा दायर अभिरक्षा याचिका डी-65/05 को मुलाकात ऊपर दिए गए अधिकारों के अनुसार और पहुंच के साथ बर्खास्त कर दिया गया है।

8. परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 23.2.2007 बॉम्बे के समक्ष पारिवारिक न्यायालय की अपील सं. 29/2007 दायर की। उच्च न्यायालय ने इसे 7 मार्च, 2007 को स्वीकार किया था और कहा गया था कि इसे 26 मार्च, 2007 को अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। 26 मार्च, 2007 को प्रत्यर्थी ने एक अपील भी दायर की,पारिवारिक न्यायालय की अपील No.61/2007 होने के नाते, परिवार न्यायालय के दिनांकित 2.2.2007 के फैसले के संचालन को चुनौती देते हुए अनीशा से मिलने के लिए अपीलकर्ता। उक्त अपील को भी 3 मई को स्वीकार कर लिया गया था। 2007. उसी दिन, परिवार के क्रम में निहित निर्देश अनीशा से मिलने के लिए अपीलार्थी तक पहुँच के संबंध में न्यायालय दिनांक 2.2.07 को उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश देते हुए संशोधित किया गया था कि नाबालिग बच्चा अपीलार्थी के लिए तब उपलब्ध होगा जब वह शारीरिक रूप से उपस्थित होगा। बॉम्बे उनके घर पर। यह भी निर्धारित किया गया था कि जब भी अपीलार्थी बॉम्बे में उपलब्ध नहीं होने पर बच्चे को प्रतिवादी के साथ रहना चाहिए। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि बच्चे को उसके द्वारा नहीं हटाया जाना चाहिए किसी भी कारण से बॉम्बे से बाहर अपीलार्थी, सिवाय आदेश मे उल्लिखित परिस्थिति को छोड़कर।

9. उच्च न्यायालय के दिनांक 3.5.07 के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और इसका

निपटारा किया गया था।18.6.07 उच्च न्यायालय को परिवार न्यायालय की अपील पर शीघ्र सुनवाई करने के निर्देश के साथ।

10. कुछ परिस्थितियों ने हस्तक्षेप किया जिसने विभाजन को प्रेरित किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने दिनांक 3.5.07 के आदेश में संशोधन किया, 12.7.07 अपीलार्थी को दी गई पहुंच को कम करके और इस तरह के सीमित करके आगामी शनिवार और रविवार को केवल दिन के समय तक पहुँच।उपर्युक्त दो अपीलों में पारित उक्त आदेश हमारे समक्ष अपीलों की विषय वस्तु बनाने वाले आदेशों में से एक है।

11. इसके बाद, पार्टियों और नाबालिग बच्चे का साक्षात्कार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 19.7.07 पर एक और आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को बच्चे के साथ मनोचिकित्सक के पास जाने और उपचार प्राप्त करने का निर्देश दिया गया और उसमे रिपोर्ट प्राप्त करें। अपीलार्थी को शनिवार को दी गई पहुंच और रविवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहा। उक्त आदेश पारिवारिक न्यायालय अपील No.61/2007 में प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन No.81/2007 में पारित किया गया, अन्य आदेशों में से एक है जो हमारे समक्ष वर्तमान अपीलों का विषय है।

12. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 27.7.07 पर तीसरा आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को एक सप्ताह के भीतर

मनोचिकित्सक एक के साथ नियुक्ति लेने का निर्देश दिदिया गया, और उन्हें पक्षों की जांच के बाद 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। अंतरिम व्यवस्था पहले किए गए कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश तीसरा आदेश है। जो वर्तमान अपीलों में आक्षेपित है। इन अपीलों में आरोपित चौथा आदेश लंबित सिविल आवेदन में 6.8.07 पर पारित किया गया था।No.81/2007, जिसके तहत, मध्यवर्ती परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"बॉम्बे में न्याय के उच्च न्यायालय में सिविल अपीलेट न्यायपालिका 2007 का पारिवारिक न्यायालय आवेदन NO.6 साथ-साथ 2007 का नागरिक आवेदन NO.81 साथ-साथ 2007 का पारिवारिक न्यायालय आवेदन NO.29 श्री आर. टी. लालवानी, आवेदक/पत्नी के वकील श्री केविक सेतलवाड़ अधिवक्ता आई/बी डी. एच. लॉ एंड एसोसिएट्स फॉर तारीखः 6 अगस्त, 2007 पी. सी (जे. एन. पटेल, जे के अनुसार): सुना है। हम पक्षों के आचरण से पाते हैं कि पक्षकार बार-बार एक बहाने से मामले में इस न्यायालय का रुख कर रहे हैं या दूसरा। प्रत्येक और [2007] 11 एस. सी. आर. की निगरानी करना न्यायालय के लिए अत्यधिक असंभव है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सब कुछ। यह पहुंच से संबंधित वैवाहिक मामला है बच्चे, न्यायालय ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं और यह उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्ष न्यायालय के

निर्देशों का पालन करेंगे और यह एक दूसरे को सुविधा प्रदान करता है और एक दूसरे के साथ सहयोग करता है मामले में। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पक्ष व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से वे चाहते हैं, बच्चे के कल्याण के बारे में चिंता किए बिना, जो सर्वोच्च महत्व का है। यह न्यायालय ने पक्षों को परामर्श के लिए जाने का सुझाव दिया है और पहले से ही जे. जे. अस्पताल के एक मनोचिकित्सक को इसके लिए नियुक्त किया गया है। हाल के विकास का प्रतिनिधित्व पार्टियों के वकील द्वारा किया जाता है कि पहुँचने की अंतिम तिथि पर पक्षों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, जिससे पत्नी को चोटों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था वह पीड़ित थी और वह वर्तमान में लीलावती अस्पताल में भर्ती है और आज या कल उसे छुट्टी दिए जाने की संभावना है।

2. हमारी सुविचारित राय में प्रत्यर्थी/पत्नी अपने शपथ पत्र को अभिलेख पर रखने के अवसर की हकदार है।

3. हाल के विकास को देखते हुए, जैसा कि हमारे ध्यान में लाया गया है, हम हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन हमारे सभी अंतरिम आदेशों/राहत को रोक कर रखेंगे।पिता तक पहुँच, जब तक इस न्यायालय को मनोचिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक स्थगन में। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि पक्ष सहयोग करने में विफल रहते हैं इस मुद्दे को हल करने में न्यायालय के साथ, यह न्यायालय हटा

देगा उसके बोर्ड से मामला। पक्षों से समाधान की अपेक्षा नहीं की जाती है। न्यायालय में उनका घरेलू झगड़ा और न्यायालय से निर्णय लेने के लिए कहे प्रत्येक मुद्दा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक। हम आशा करते हैं कि पक्ष कुछ अनुशासन बनाए रखेंगे। न्यायालय के आदेशों का पालन करना और सहयोग करेंगे।

4. पक्ष इस न्यायालय के आदेशों का पालन करने के बाद ही मामले का उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र हैं और मनोचिकित्सक की रिपोर्ट है प्राप्त हुआ। इसके बाद यह न्यायालय आगे के आदेश पारित करने का प्रस्ताव करता है। मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि इस बीच हम अंतरिम राहत के लिए, या पक्षों को बच्चे से मिलने की अनुमति देने के लिए, या लेने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। बोर्ड पर मामला, जिसके कारण इस न्यायालय ने पारित सभी आदेशों को रोक दिया है इससे पहले विराम में।

13. उपरोक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी तक सभी पहुंच रखी गई थी। न्यायालय द्वारा मनोचिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त होने तक स्थगन। मुख्य बात अपीलार्थी की शिकायत यह है कि 6.8.07 के आदेश से वह पूरी तरह से था नाबालिग बच्चे तक किसी भी तरह की पहुंच से इनकार कर दिया। वह भी दुखी था अन्य आदेशों द्वारा भी पहुँच समय में कमी।

14. चूंकि इन अपीलों को अंतरिम आदेशों के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दो लंबित परिवार न्यायालय में पारित किया गया अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि इन अपीलों में अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत अपने बच्चे तक पूर्ण पहुंच से इनकार करने के संबंध में थी। उन्होंने प्रार्थना की कि यात्रा के अधिकार जो थे परिवार न्यायालय द्वारा प्रदत्त दोनों के लंबित रहने के दौरान बहाल किया जाए। बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील।

15. चूँकि हमें केवल उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, हम हैं बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों से संबंधित किसी अन्य प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपीलार्थी से मिले हैं, प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे, अनीशा, अलग से, कक्ष में,मुलाकात की है सुनिश्चित करे कि अपीलार्थी को अनीशा तक पहुँच की अनुमति देने के लिए अंतरिम व्यवस्था करने के संबंध में प्रत्येक का क्या कहना था।

16. अभिलेख पर और उसके बाद की सामग्री को देखने के बाद पक्षों और नाबालिग लड़की के विचारों पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी को उसके नाबालिग बच्चे तक पूर्ण पहुँच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए,भले ही निर्देशों का पालन करने में कोई चूक हुई हो उच्च न्यायालय और अपीलों के निपटारे तक उसे कम से कम कुछ हद तक अपने नाबालिग बच्चे तक पहुँच की अनुमति दी जानी चाहिए।

17. हम, तदनुसार, निम्नलिखित के साथ इन अपीलों का निपटारा करते हैं। दिशा निर्देश

(i) चूंकि एक नाबालिग बच्चे का कल्याण शामिल है, इसलिए उच्च न्यायालय लंबित अपीलों को निपटाने का प्रयास करने का अनुरोध किया जाता है जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अधिमानतः तीन महीने के भीतर इस आदेश के संचार की तारीख से;

(ii) नाबालिग का अपीलार्थी/पिता, एच. ए. [2007] 11 एस. सी. आर. का हकदार होगा। यदि बच्चा चाहेगा तो उसे अपने साथ शनिवार की रात को रखने का हकदार होगा। उक्त प्रयोजन के लिए, अपीलार्थी प्राप्त करेगा शनिवार को सुबह 10.00 बजे उत्तरदाता का बच्चा बांद्रा में उसका निवास या पारस्परिक रूप से सहमत स्थान से और रविवार को 2 बजे तक बच्चे को प्रत्यर्थी को वापस कर देगा। अपराह्न। इस स्थिति में अनीशा अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है रात भर, अपीलार्थी फिर उसे अदालत के हवाले कर देगा। उत्तरदाता शनिवार को ही रात 9 बजे तक। ; इस मामले में, अपीलार्थी रविवार को भी अनीशा को बाहर ले जाने का हकदार होगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक;

(iii) अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। उपरोक्त व्यवस्थाओं को कार्यशील बनाने में एक-दूसरे के साथ। प्रत्यर्थी अपीलार्थी को ऐसा करने से नहीं रोकेगा ऊपर बताए गए तरीके से अनीशा

तक पहुँच। इसी तरह एक बार जब अनीशा को अपीलार्थी को सौंप दिया जाता है तो उसे भी उसका सम्मान करना चाहिए। उपरोक्त व्यवस्थाएँ और अनीशा को अपने साथ न रखें निर्धारित समय से अधिक। किसी भी पक्ष की स्थिति में उपरोक्त व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए, दूसरा पक्ष होगा बॉम्बे के समक्ष उचित आदेशों के लिए प्रार्थना करने की स्वतंत्रता लंबित अपीलों में उच्च न्यायालय;

(iv) उपरोक्त व्यवस्था की जा रही है ताकि अपीलार्थी अपनी नाबालिग बेटी तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस दौरान बच्चे की शिक्षा किसी भी तरह से प्रभावित न हो सप्ताह मे ।

18. तदनुसार, अपीलों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में पूर्वोक्त संशोधन के साथ किया जाता है। उपरोक्त, अन्य सभी अंतरिम निर्देश लागू रहेंगे।

19. चूंकि, हमारे पहले के निर्देशों के संदर्भ में, के खर्च कहा जाता है कि प्रतिवादी और अनीशा को बॉम्बे से दिल्ली आने और अन्य मुकदमेबाजी के खर्च के लिए अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया था इस न्यायालय की रजिस्ट्री, प्रत्यर्थी को वापस लेने का अधिकार होगा एक ही। इन अपीलों में लागत के बारे में आगे कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शशि (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।